



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 केम्य स्थल निम्खाईड़ा

धारा अन्तर्गत - 136

प्रस 02

दायर दिनांक

16/12/25

निर्णय दिनांक

16/12/25

क्र.सं.	नाम ग्राम	स्थान	रिपोर्ट		
1	<u>निम्खाईड़ा</u>	<u>337</u>	<p>महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2025 एच राजट नाटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही कपासनी श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p>	<p>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसालीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>निम्खाईड़ा</u> प.ह. <u>निम्खाईड़ा</u> खातासं <u>337</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>	
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	
			बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक <u>शाबपर कपासनी</u>	राजस्थान ग्रामीण बैंक <u>शाबपर कपासनी</u>	
			हस्ताक्षर <u>ABayada</u> <u>16/12/25</u> <u>4/2025</u>	हस्ताक्षर गिरठविर <u>16/12/25</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार
					पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रीठासीन अधिकारी

1. कलक्टर के कार्यालय में निम्खाईड़ा

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार कपासन